File No. अधि-1-12/2/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 3126)

I/19130/2023

I/19130/2023

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 54 /1–12(6) देहरादून, दिनांक 03 अप्रैल, 2023.

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 137/1–12(6) दिनांक 25.07.2022 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की प्रथम बैठक **दिनांक 27.07.2022** में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्न **वन दरोगा वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 रू0 29200–92300** के कार्मिक की **उप वन क्षेत्राधिकारी के वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 रू0 35,400–1,12,400** में कॉलम संख्या–05 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है:–

क्र0 सं0	दि0 01.07.22 पर आधारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वृत्त का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	92	जीत सिंह रावत	उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।	01 जून 2023

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में तैनात वृत्त के अधीन तैनाती वन प्रभाग/कार्यालय में ही अपना योगदान पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि से देना सुनिश्चित करें। पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्मिक के योगदान देने के फलस्वरुप किसी वन प्रभाग में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पद से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक द्वारा वृत्त में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पदों के सापेक्ष उक्त अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती/समायोजन किया जायगा। इसी प्रकार वृत्त में आवंटित पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने मण्डल के अंतर्गत पदों पर तैनाती/समायोजन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद आवंटित पदों से अधिक पदों पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिकों के अंतरमण्डलीय समायोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की जाय। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पदोन्नति पर योगदान के 01 माह के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित करें। उप वन क्षेत्राधिकारियों के आवंटित पदों पर समायोजन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रोन्नत उप वन क्षेत्राधिकारी का राज्य में उप वन क्षेत्राधिकारियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष सबंन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतन आहरित किया जायगा।

उपरोक्त कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

Signed by Manoj Chandran
Date: 03-04-2023 10:12:48

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

क्रमशः

Generated from eOffice by AKANKSHA NEGI, HA-AKANKSHANEGI, HEAD ASSISTANT, FOREST DEPT on 03/04/2023 10:48 am

I/19130/2023

I/19130/2023

I/19130/2023

पत्रांक (1) / 1–12(6) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. अधिष्ठान / गार्ड बुक।
6. आई0टी0 प्रकोष्ठ, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

Generated from eOffice by AKANKSHA NEGI, HA-AKANKSHANEGI, HEAD ASSISTANT, FOREST DEPT on 03/04/2023 10:48 am